

न्यायालय सहायक, कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 491 सन 2018
अनवान :-

1. शमशेर अली पुत्र रोशनअली जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. रोशन अली पुत्र जुसुफ जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर
2. मौसम अली 3 मुश्ताक अली पि0 रोशन अली जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. रसीदा 5 मजीदा 6 बसीरा 7 जुले खां 8 नसरीना पुत्रीयान रोशन अली जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
- 9 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र कुमार जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :- 18.10.18

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मोजा चक 1 एनएचआरबी के खाता संख्या 150/191 के प0न0 315/438(55) के किला न0 8/0.253 ,9/0.253 ,12/0.253 ,14/.253 ,17/0.253 ,18/0.253 ,19/0.253 ,20/0.253 कुल किता 9 की 2.2770हैक भूमि जिसके जुसुफ पुत्र खुदावक्स खातेदार काश्तकार थे वादी के दादा जुसुफ पुत्र खुदावक्स के देहान्त होने के बाद वाद भूमि विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में रोही मोजा चक 1 एनएचआरबी के खाता संख्या 150/191 के प0न0 315/438(55) के किला न0 8/0.253 ,9/0.253 ,12/0.253 ,14/.253 ,17/0.253 ,18/0.253 ,19/0.253 ,20/0.253 कुल किता 9 की 2.2770हैक आई विरास्तन से भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने के कारण वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है। तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 ने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 जो उनके भाई है के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 का पिता है जो काभी वृद्ध हो चुका है ने भी अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के पूर्वजों के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ,4 ता 8 ने निवेदन किया की उसके द्वारा अपने


3
हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 के पक्ष में किया हुआ है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया गया जो शामिल मिसल है। उभयपक्षों को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पति है हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का बराबर का हक हिस्सा है तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1, 4 ता 8 ने अपने कों का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1, 4 ता 8 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होंने वाद भूमि में अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 के पक्ष में किया जा चुका है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों समर्थन में पूर्व में राजीनामा पेश किया जा चुका है

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 ने अपने हकों का त्याग करने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी उचित है।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 1 एनएचआरबी के खाता संख्या 150/191 के प0न0 315/438(55) के किला न0 8/0.253 ,9/0.253 ,12/0.253 ,14/.253 ,17/0.253 ,18/.0.253 ,19/0.253 ,20/0.253 कुल किला 9 की 2.2770 हैक् भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजलास प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- पांच हजार का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18/10/18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)